

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

58-2025/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025 (CHAITRA 5, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 26th March, 2025

No. 16-HLA of 2025/21/5752.— The Haryana (Exchange of Prisoners) Repeal Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 16- HLA of 2025

THE HARYANA (EXCHANGE OF PRISONERS) REPEAL BILL, 2025

A

BILL

to repeal the Haryana (Exchange of Prisoners) Act, 1948.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follow:-

1. This Act may be called the Haryana (Exchange of Prisoners) Repeal Act, 2025.

2. The Haryana (Exchange of Prisoners) Act, 1948, is hereby repealed.

3. The repeal by this Act shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand or any indemnity already granted or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principal or rule of law or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from the Act hereby repealed;

nor shall the repeal of the Act revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

Short title.

Repeal of Punjab Act 13 of 1948.

Savings.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas, in pursuance of an agreement with Pakistan for the exchange of prisoners, for the transfer of certain prisoners from India to Pakistan and the reception in India of certain prisoners from Pakistan, the East Punjab (Exchange of Prisoners) Act, 1948 (Punjab Act No. 13 of 1948) was enacted. After about two years of the partition of India and Pakistan as well as after passing of 'The East Punjab (Exchange of Prisoners) Act, 1948 (Punjab Act No. 13 of 1948)', majority of the prisoners stood transferred. On account of creation of State of Haryana vide Punjab Reorganization Act, 1966, the East Punjab (Exchange of Prisoners) Act, 1948 was made applicable in the State of Haryana. The words 'East Punjab' in the title at said Act has been replaced with the words' Haryana' vide Govt. notification dated 7 July, 2021. For the purpose of providing a contingency for transfer of prisoners from one state to another within India, the Transfer of Prisoners Act, 1950 (29 of 1950) was enacted and the Haryana Prisons Rules, 2022 have also been framed in the State of Haryana. Now, the Haryana (Exchange of Prisoners) Act, 1948 has become redundant. Haryana State Law Commission in its recommendation dated 25.01.2023 has recommended that this Act i.e. The Haryana (Exchange of Prisoners) Act, 1948 (Punjab Act No. 13 of 1948) may be repealed. Therefore, the Haryana (Exchange of Prisoners) Repeal Bill, 2025 is hereby proposed to repeal the Haryana (Exchange of Prisoner) Act, 1948 (Punjab Act No. 13 of 1948). Hence, the Bill.

	DR. ARVIND KUMAR SHARMA, Jails Minister, Haryana.
Chandigarh: The 26th March, 2025.	DR. SATISH KUMAR, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 16 एच.एल.ए.

हरियाणा (बंदी आदान—प्रदान) निरसन विधेयक, 2025 हरियाणा (बंदी आदान—प्रदान) अधिनियम, 1948 को निरसित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. यह अधिनियम हरियाणा (बंदी आदान-प्रदान) निरसन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा (बंदी आदान–प्रदान) अधिनियम, 1948, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

1948 के पंजाब अधिनियम 13 का निरसन।

3. इस अधिनियम द्वारा निरसन, किसी अन्य अधिनियमिती को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू निगमित या निर्दिष्ट की गई हैं;

व्यावृत्ति ।

और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों, या पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की अथवा से किसी निर्मृक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;

न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि यह क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम द्वारा, में या से किसी भी रीति में अभिपृष्ट किया गया हो या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुआ हो;

न ही इस अधिनियम का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, व्यवहार, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनर्जीवित या प्रत्यावर्तित करेगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं हैं।

उद्वेश्यों तथा कारणों का विवरण

जबिक, भारत से पाकिस्तान में कुछ बन्दियों के अन्तरण तथा पाकिस्तान से कुछ बन्दियों को भारत में प्राप्त के लिए बन्दियों के आदान—प्रदान हेतू पाकिस्तान के साथ करारनामें के अनुसरण में पूर्वी पंजाब (बंदी आदान—प्रदान) अधिनियम, 1948 (1948 का पंजाब अधिनियम संख्या 13) अधिनियमत किया गया था। भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन के लगभग दो वर्ष बाद तथा पूर्वी पंजाब (बंदी आदान—प्रदान) अधिनियम, 1948 (1948 का पंजाब अधिनियम संख्या 13) पारित करने के बाद अधिकांश बन्दी स्थानान्तरित हो गए थे। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 द्वारा हरियाणा राज्य के सृजन के कारण पूर्वी पंजाब (बंदी आदान—प्रदान) अधिनियम, 1948 हरियाणा राज्य में लागू किया गया था। इस अधिनियम के शीर्षक में वर्णित 'पूर्वी पंजाब' को सरकार की अधिसूचना दिनांक 7 जुलाई, 2021 के अनुसार 'हरियाणा' किया गया है। भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में बन्दियों के स्थानान्तरण के लिए प्रासंगिकता मुहैया कराने के प्रयोजन के लिए बंदी अन्तरण अधिनियम, 1950 (1950 का 29) अधिनियमित किया गया था तथा हरियाणा राज्य में हरियाणा कारागार नियम, 2022 भी बनाए गए हैं। अब, हरियाणा (बंदी आदान—प्रदान) अधिनियम, 1948 तिश्वक हो गया है। हरियाणा राज्य विधि आयोग ने अपनी सिफारिश दिनांक 25.01.2023 में सिफारिश की है कि इस अधिनियम यानि हरियाणा (बंदी आदान—प्रदान) अधिनियम, 1948 (1948 का पंजाब अधिनियम संख्या 13) नेरसित करना इसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है।

अतः, विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ० अरविन्द कुमार शर्मा, जेल मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक 26 मार्च, 2025. डॉ० सतीश कुमार, सचिव।

11766—H.V.S.—H.G.P., Pkl.